न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.*ए.एस*

आर्म्स अपील संख्या 05/2019

अपीलान्टस	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
केसर सिह पुत्र श्री भवानी सिह, जाति राजपूत, निवासी–बुडेरी, तहसील शिवगंज, पुलिस थाना शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)		कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 11.10.2018 द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट सिरोही ने अपीलाण्ट के पिस्टल रिवॉल्वर लाइसेन्स संख्या 119/2018 को क्षेत्र समस्त राजस्थान से समस्त भारत बढाने का निरस्त कर दिया।

उपस्थितिः––

1. श्री भरतसिंह, अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।

2.श्री ओमप्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 18 फरवरी, 2020

1. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट सिरोही ने अपीलाण्ट के पिस्टल रिवॉल्वर का क्षेत्राधिकार राजस्थान से बढाकर समस्त भारत करने हेतु पेश किये गये आवेदन को दिनांक 11.10.2019 को यह कहते हुए संचित कर दिया कि आप समस्त भारत क्षेत्र के लिये पात्रता नहीं रखते है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत आर्म्स अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. हमने उपस्थित दोनों पक्षों के योग्य अभिभाषकों की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलाण्ट के नाम से एक पिस्टल/रिवोल्वर लाईसेन्स नम्बर SRO/ DM/ Pis-Revo./119/2018 जो दिनांक 02.05.2020 तक के लिए समस्त राजस्थान क्षेत्र के लिए

जारी किया हुआ है तथा लाईसेनस मे एक 32 बोर पिस्टल/रिवोल्वर नं. RFL-179108356 दर्ज है।

3. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट वर्तमान मे गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल उदयपुर मे चेयरमेन का पर्सनल सुरक्षा गार्ड है तथा चैयरमेन अक्सर राजस्थान राज्य से बाहर अपने व्यवसायिक कार्य व आफिसियल कार्य हेतु गुजरात व महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व चैन्नई, कर्नाटक, आदि राज्यो मे जाते रहते है तथा अपीलाण्ट के चैयरमन का सुरक्षा गार्ड होने से उनके साथ आना जाना पडता है।

4. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के समक्ष एक प्रार्थना पत्र क्षेत्र विस्तार समस्त राजस्थान से समस्त भारत करने बाबत निवेदन किया तथा यह भी उल्लेख किया कि यही उसकी आजीविका व रोजगार का एकमात्र जरिया है। परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को कार्यालय में बिना दर्ज रजिस्टर किए ही दिनांक 12.02.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रभारी अधिकारी (न्याय) शाखा जिला कलेक्टर कार्यालय से पुनः लौटा दिया गया कि आप इस हेतु कोई पात्रता नही रखते। उसके बाद पुनः दिनांक 11.06.2019 को प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुए बिना नियम देखे ही इस टिप्पणी के साथ दिनांक 11.10.2019 को संचित कर दिया कि अपीलाण्ट पात्रता नही रखते। जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट यह अपील कर रहा है।

5. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह बिना रिकार्ड देखे व गौर किये पारित किया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने आर्म्स अधिनियम व समय– समय पर जारी किये गये संशोधित नियमो को नजर अन्दाज कर दिया एवं अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है एवं न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण आदि चाहा गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नही होने से अपास्त योग्य है।

6. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि पूर्वक आजीविका प्राप्त करने व स्वयं की अर्जित सम्पत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार है। कोई घटना घटित होने से पूर्व वह जो निश्चित नही है, उससे अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हुए जीने का अधिकार है। वह हर छोटे–छोटे घटित होने वाले

अपराधो के लिए तथा जो पूर्व निश्चित नही है से स्वयं की सुरक्षा कर सके। तथा आजीविका के लिये अपने शस्त्र पिस्टल/रिवोल्वर के क्षेत्राधिकार को राजस्थान से पूरे भारत मे बढाने का आवेदन अधिनस्थ कार्यालय के समक्ष पेश किया था। इस सम्बन्ध में आयुध नियम 2016 के नियम 19 की अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता क्षेत्र का विस्तार के भाग 3 इस प्रकार है कि–

> ''अन्य मामलो मे जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि विधमान अधिकारिता से परे आयुध को उसे ले जाने की अपेक्षा आवेदक के कारबार या वृतिक प्रकृति मे है और ऐसी अपेक्षा इन नियमो के प्ररूप 11 मे किसी यात्रा अनुज्ञप्ति के जारी करने से पूरी नही की जा सकती है। आवेदक अनुसूची 2 के स्तंभ 5 मे विर्निर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विधमान क्षेत्र के आवेदन को संपूर्ण भारत के लिए प्रदान कर सकेगा। ''

7. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त नियमों का किसी प्रकार का गौर किये बिना ही मनमाने तरीके से जो आदेश पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की उक्त अपील को आयुध नियमों के तहत स्वीकार की जाकर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 को निरस्त फरमाया जाकर पिस्टल/रिवोल्वर पोइण्ड थ्री टू के लाईसेन्स नम्बर 119/2018 के प्रयोग का क्षेत्राधिकार समस्त राजस्थान से बढाकर समस्त भारत मे करने का आदेश पारित फरमाया जाये।

9. प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर सिरोही ने आयुध नियमों के तहत अपीलान्ट के उक्त आवेदन के सम्बन्ध में गहनता से परीक्षण करने के उपरान्त ही उसके पिस्टल/रिवोल्वर पोइण्ड थ्री टू के लाईसेन्स नम्बर 119/2018 के प्रयोग का क्षेत्राधिकार समस्त राजस्थान से बढाकर समस्त भारत मे करने का अपीलान्ट का आवेदन अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावें।

10. हमने पक्षकारान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा जिला कलेक्टर सिराही के द्वारा प्रेषित की गई विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाण्ट ने अपने आवेदन में यह तथ्य अंकित करते हुए आवेदन किया कि अपीलान्ट वर्तमान मे

गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल उदयपुर मे चेयरमेन का पर्सनल सुरक्षा गार्ड है तथा चैयरमेन अक्सर राजस्थान राज्य से बाहर अपने व्यवसायिक कार्य व आफिसियल कार्य हेतु गुजरात व महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व चैन्नई, कर्नाटक, आदि राज्यो मे जाते रहते है तथा अपीलाण्ट के चैयरमन का सुरक्षा गार्ड होने से उनके साथ आना जाना पडता है। इस हेतु उसके पिस्टल/रिवोल्वर पोइण्ड थ्री टू के लाईसेन्स नम्बर 119/2018 के प्रयोग का क्षेत्र विस्तार समस्त राजस्थान से समस्त भारत करने बाबत निवेदन किया। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट सिरोही ने अपीलान्ट के उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में आयुध नियम 2016 के नियम 5 की अनुसूची–।। के मद संख्या 3 में दर्शाये गये व्यक्तियों यथा वर्तमान केन्द्रीय मंत्री/सांसद, सैन्य बलों व अर्द्धसैन्य बलों के कार्मिक, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, ऐसे अधिकारी जिनका स्थानान्तरण समस्त भारत में कही भी किया जा सकता है, खिलाडी तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों जो तीन राज्य सीमा तक बढाने हेतु आवेदन करते है तो उनके सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार सक्षम होने का उल्लेख किया गया है।

11. इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में जो कि उसके शस्त्र अनुज्ञापत्र को समस्त भारत क्षेत्र में बढाने हेतु प्रस्तुत किया गया था उसमें अपीलान्ट ने ऐसा कोई ठोस आधार अंकित नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता हो कि उसे वास्तव में इस क्षेत्र विस्तार की आवश्यकता हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट सिरोही ने अपीलान्ट के आवेदन में क्षेत्र वृद्धि का कोई स्पष्ट व संतोषजनक आधार नहीं होने के कारण संचित करने का आदेश दिया गया है जो पूर्ण रूप से उचित एवं विधि अनुकूल पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट की जाती है तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर